रीडर

22-5-2018
नि।2।7।

पक्षकारान उपस्थित/अनु /वकील/प्रार्थी/अप्रार्थी
उप०/अनु०/[illegible] में पेश हुई।
पक्षकारान में [illegible] गई। राजीनामा
नहीं हुआ। अतः पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय
को वापस लौटाई जावे। दिनांक 20-7-2018 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

20.7.18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान
उपस्थित। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई।
आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० प० किया।
पत्रावली फैसल हुआ होकर नम्बर से कम हो।
नक्शा बाद तकमील कार्यवाही जाब्ता दाखिल
दफ्तर हो। निर्णय आज दि० 20.7.18 को
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: श्री दुर्गाप्रसाद मीना
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 21/2016

सवाईसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—आवेदक

बनाम

1. कल्याणसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ
2. नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनू
3. शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा मुकुन्दगढ
4. प्रबंधक एसबीबीजे शाखा मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 20.07.2018

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम सोटवारा की सरहद में भूमि खाता सं0 383 के ख.न. 486/4.73, 492/1.51, 743/491/1.10, कुल रकबा 7.34 है0 तथा ख.न. 754/486/0.12 एवं नई खाता सं0 28 के तथा ख.न. 490/1.64, 491/0.22, 741/473/2.50 कुल रकबा 4.36 है0 स्थित है। उक्त दोनों खातों की सम्पूर्ण भूमि आवेदक व अनावेदक नं. 1 की दर्जशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की है जो पहले आवेदक व अनावेदक के पूर्वजों के कब्जे काश्त व खातेदारी की थी उक्त भूमि आवेदक व अनावेदक नं. 1 की पैत्रिक भूमि है व पूर्व में संयुक्त रूप से काश्त की एवं वर्तमान मे मौखिक विभाजन के आंधार पर कब्जा काश्त है उक्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है जिसको आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त भूमि सैटलमेन्ट से पूर्व संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी में आवेदक व अनावेदक नं. 1 के पूर्वज जीवणसिंह के संतानों की खातेदारी में दर्जशुदा थी, उक्त भूमि आवेदक व अनावेदक नं. 1 की पैत्रिक भूमि है व पूर्व में संयुक्त रूप से काश्त की वर्तमान में मौखिक विभाजन के आधार पर कब्जा काश्त है उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

उक्त वर्णित भूमि सैटलमेन्ट से पूर्व संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी में आवेदक व अनावेदक नं. 1 के पूर्वज जीवणसिंह के संतानों की खातेदारी में दर्जशुदा थी सैटलमेन्ट के बाद भी आधर वर्ष संवत 2043 में उक्त भूमियों को इन्ही के विधिक वारिसों के नाम दर्ज कर दी गई लेकिन उस रिकार्ड को बनाते समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने उक्त राजस्व रिकार्ड को समान दर्ज नही करके किसी के ज्यादा व किसी के कम भूमि दर्ज कर अलग अलग खाते बना दिये जबकि मौखिक विभाजन के आधार पर सभी सह खातेदार अपनी अपनी भूमि को लाट बाट रहे हैं व बराबर बराबर भूमि काश्त करते हैं व लगातार करते आ रहे हैं उक्त रिकार्ड भी संवत 2051 से 2054 तक यथावत बना रहा। सन 1995 में उक्त राजस्व रिकार्ड को गलत मानते हुये आवेदक के परिवार के सदस्य सुगन के वारिसान ने एक वाद घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जो श्रवणसिंह बनाम भंवरसिंह वगैरा मु0न0 183/95 डाले गये जिसके वर्तमान नं. 142/11 है के न्यायालय में आज भी विचाराधीन है। उक्त वाद में आवेदक ने जबाब पेश कर दावे के उक्त तथ्यों को इन्कार किया था आवेदक उक्त दावे में प्रतिवादी नं. 2 है उक्त दावे के विचारण के दौरान ही ग्राम सोटवारा में राजस्व कैम्प का आयोजन हुआ उसमें पत्रावली का विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 09.10.2001 को निस्तारण करते हुये निर्णय कर दिया जबकि पत्रावली वास्ते शहादत करीब डेड माह बाद दिनांक 21.11.2001 को आगामी तारीख पेशी नियत थी एवं उक्त गैर कानूनी निर्णय को आधार बनाकर आवेदक कक्ल्याणसिंह ने पटवारी से मिलकर तुरन्त फुरत में राजस्व रिकार्ड की तरमीम करवाते हुये एक गैर कानूनी रूप से आवेदक के कब्जे काश्त की भूमि में एक रास्ते की तरमीम करवाली

उपखंण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

जबकि आज तक भी मौके पर किसी प्रकार का तरमीमी रिकार्ड दर्ज नही होकर मौखिक विभाजन के आधार पर ही कब्जे काश्त व खातेदारी बनी हुई है व मौके पर कोई चालू रास्ता नही है।

उक्त कैम्प में किये गये निर्णय से व्यथित होकर आवेदक ने उक्त निर्णय के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जिस पर उक्त न्यायालय ने सुनवाई करते हुये सोटवारा कैम्प में किये गये पूर्व के निर्णय दिनांक 09.10.2001 को निरस्त करते हुये दोनो पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये निर्णय पारित करने का आदेश फरमाया था जिसकी पालना में मु0नं0 183/95/पुराना व 142/11 नया विचाराधीन है। परन्तु पूर्व के गलत निर्णय से दर्ज गलत राजस्व रिकार्ड की आड में अनावेदक नं. 1 व 2 मिलकर आवेदक को हैरान व परेशान करते पर तुले हुये हैं व आवेदक की कब्जा काश्त की भूमि में गैर कानूनी रूप से रास्ता खोलने पर आमाद है जबकि पूर्व में निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा उक्त अपील के निर्णय मे अनावेदक नं. 1 व 2 तथा 5 भी पक्षकार होने के कारण उक्त निर्णय की पालना के लिये आदेशित है फिर भी पटवार हल्का से मिलकर अनावेदक नं. 1 व 2 के द्वारा गलत कार्यवाही करवाने पर आमादा हैं। नामा0सं0 345 के आधार पर जो राजस्व रिकार्ड बना है जिसमें नया ख.न. डालते हुये ख.न. 754/486 का एक रास्ता आवेदक के कब्जे काश्त की भूमि मे दर्ज किया गया है उसकी आड में अनावेदक नं. 1 गलत शिकायत कर आवेदक के खिलाफ भू राजस्व अधि0 की धारा 91 की कार्यवाही करवाने के लिये आमादा है जबकि न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर अनावेदक नं. 2 पूर्व में भी आवेदक पर एक बार मु0नं0 27/2014 के द्वारा धारा 91 की कार्यवाही कर चुका है उसके बाद अनावेदक नं. 2 ने दिनांक 12.10.2015 को आवेदक के खिलाफ भू.राजस्व अधि. 1956 की धारा 91(6) का नोटिस जारी किया। इस तरह अनावेदक नं. 1 से मिलकर अनावेदक नं. 2 मिल कर गैर कानूनी कार्यवाही करने पर आमादा है। अनावेदक नं. 2 अपीलीय न्यायालय निर्णय को अनदेखा कर रहे हैं जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तादौराने दावा अनावेदकगण नं. 1, 2 व 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादग्रस्त भूमि खाता सं0 383 की भूमि ख.न. 486/4.73, 492/1.51, 743/491/1.10 व ख.न. 754/486/0.12 के संबंध में न्यायालय मे विचाराधीन वाद श्रवणसिंह बनाम भंवरसिंह वगैरा के सम्पूर्ण सुनवाई के बाद विधिक निर्णय होने तक उक्त वर्णित विवादित भूमि के संबंध में आवेदक के खिलाफ न तो कोई कानूनी कार्यवाही करे न ही अपने अधिनिस्थ किसी कर्मचारी से करवाये तथा अनावेदक नं. 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस उमर की फरमाई जावे कि तादौराने विचाराधीन दावा के निर्णय तक उक्त भूमि में खुर्दबुर्द नही करे व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण नं. 3 व 4 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक नं. 2 व 5 की और से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर वर्णित किया गया कि ग्राम सोटवारा स्थित भूमि ख.न. 488/0.67, 754/486/0.12 है0 की किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है जिसके कम में आवेदक को कोई कानूनी वादाधिकार नही है। अनावेदक द्वारा ख.न. 488 व 754/486 की किस्म गै0 मु0 रास्ता होने से प्रकरण दर्ज कर विधिनुकुल ही कार्यवाही की है। अनावेदक नं. 1 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि उनवानी श्रवणसिंह आदि बनाम भंवरसिंह आदि बाबत घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड एवं विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा सन 1998 मे पेश होने पर मु0नं0 183/1998 के रूप में न्यायालय हाजा में दर्ज होकर विचाराधीन रहा तथा सन 2001 में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान कैम्प सोटवारा में उक्त दावे के पक्षकारान में आपस में राजीनामा होकर लिखित में राजीनामा उक्त कैम्प सोटवारा मे दिनांक 09.10.2001 पेश होने पर उक्त राजीनामा नियमानुसार तस्दीक किया गया व उक्त राजीनामा के आधार से उक्त मुकदमे में निर्णय व डिकी दिनांक 09.10.2001 को पारित फरमाया गया। उक्त निर्णय एवं डिकी की पालना में राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन उक्त राजीनामा के अनुसार अमल दरामद हो जाने पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अलग अलग रूप बन कर प्रभाव मे चल रही है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। मौखिक विभाजन के आधार पर कब्जा काश्त की कहानी झूठी अंकित की है। उक्त ख.न. 486/0.12 है0 भूमि रास्ते के रूप में स्वयं आवेदक सवाईसिंह स्वयं द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

तहसीलदार नवलगढ के यहां समर्पण करने से आवदेक सवाईसिंह स्वयं द्वारा उक्त 0.12 है0 भूमि अपनी स्वेच्छा से करने से अस्तित्व में आकर उक्त खसरा नम्बर 754/486/0.12 है0 के रूप में रास्ते के रूप में राज नामा0 सं0 388 दिनांक 27.05.2003 से दर्ज हुआ है जो गै0 मु0 रास्ता ख.न. 754/486 अनावेदक नं. 1 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि ख.न. 490 में आने जाने का उक्त रास्ता प्रभाव में होने से अनावेदक नं. 1 उसके पुत्रों परिवारजन द्वारा सन 2003 से बराबर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग मैं लिया जाता रहा है। राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ को अं.धारा 91 रा.ले.रे.एक्ट के तहत कार्यवाही करने का कानूनन क्षैत्राधिकार प्राप्त होने से उक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं निर्णयों को एवं अन्य कानूनी कार्यवाही उक्त आदेशों एवं निर्णयों की कियान्विति हेतु उक्त न्यायालय करता है। उक्त सभी कानूनी प्रकिया एव कानूनी कार्यवाही को न्यायालय हाजा को रोके जाने या स्टे अथवा स्थिगित करने का कानूनन क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है ऐसी सूरत मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से पोषणीय नही है तथा आवेद्रक के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गैर कानूनी रूप से प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय हाजा को जो यथास्थिति मौके व रिकार्ड कि बनाये रखने के लिये अनावेदक नं. 1, 2 के विरूद्ध स्टे आदेश प्राप्त किया जो कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान व पैरोकार सरकार सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभय पक्षकारा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र तथ्यों को ही दौहराया।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः– जमाबंदी संवत 2067 से 2070 ग्राम सोटवारा का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ख.न. 486/4.73, 492/1.51, 743/491/1.10 है0 की खातेदारी स्वाईसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत सा.दे.खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में सलग्न नामा0सं0 388 निर्णय दिनांक 27.05.2003 ग्राम सोटवारा के अनुसार ख.न. 486रकबा 4.85 है0 जो सवाईसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है में से समर्पण पत्र द्वारा 0.12 है0 भूमि गै0 मु0 रास्ते बाबत राजहक मेें समर्पण की है। अतः उक्त रिकार्ड से सपष्ट है कि ख.न. 486 में से आवेदक स्वयं द्वारा 0.12 है0 भूमि राजहक मे रास्ते प्रयोजनार्थ समर्पण किया है। शेष खसरा नम्बरान आज भी आवेदक के स्वयं की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि स्वयं खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्त प्रयोजनार्थ भूमि राजहक में समर्पण किये जाने के पश्चात उस भूमि से उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते हैं वर्तमान में भूमि राजकीय होने से अनावेदक नं. 2 को नियमानुसार कार्यवाही करने के अधिकार कानूनन प्राप्त हैं। उक्त सभी तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण प्रथम दृष्टया आवेदक का नही बनता है।
2. सुविधा का संतुलनः व अपूर्णीय क्षति – चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित ख.नं. 486/4.73, 492/1.51, 743/491/1.10 है0 की खातेदारी स्वाईसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत सा.दे.खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो स्वयं आवेदक की खातेदारी भूमि है। शेष भूमि ख.न. 754/486 रकबा 0.12 है0 गै0 मु0 रास्ते के रूप में दर्ज रिकार्ड है अतः उक्त भूमि पर सुविधा का संतुलन आवेदक का नही बनने के कारण अपूर्णीय क्षति आवेदक को नही हो रही है।

<u>आदेश</u>

अतः उक्त तीनों बिन्दुओं के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र न्यायोचित नही होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। तथा मूल वाद के सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/7/18
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ